न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी - सुनील आर्य R.A.S.

मु०न० 27/2010

विमला देवी पत्नी गोपी चन्द जाति जाटव निवासी - विरहटा तह० बयाना
- प्रार्थिनी

वनाम

1- रामदपाल पुत्र सुरखा राम जाति जाटव निवासी कुन्डेर तह० रूपवास
2- रामपती पुत्री सुरखा पत्नी गिरधर जाति जाटव निवासी मलाह तह० भरतपुर
3- फूलदेई पुत्री सुरखा पत्नी रामलाल जाति जाटव हाल पत्नी विजय सिंह जाति जाटव निवासी मलाह तह० भरतपुर
4- सुशीला पत्नी शिवसिंह जाति जाटव निवासी डावली तह० - किरावली - आगरा उ० प्र०
5- ढेबुली पुत्री सुरखा पत्नी मुन्नीलाल जाति जाटव निवासी डावली तह- किरावली आगरा उ०प्र०
6- बहादुर सिंह पुत्र सुखा राम जाति कोली निवासी सेवर रोड गांधीनगर भरतपुर
7- बादाम सिंह पुत्र पंग्गा राम जाति जाटव निवासी सेवला तह० बयाना
8- अमृतलाल पुत्र चैतुआ राम जाति जाटव निवासी सेवला तह० बयाना
-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निर्धारण हस्तक्षेप धारा 212 RT Act व हस्व आदेश 39 नियम 1, 2) ... ...वानी

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

उपस्थिति - दिनांक 11/01/2021

1- श्री मनोज कुमार सोलंकी एड० प्रार्थिया
2- श्री महेन्द्र कृष्ण शर्मा एड० अप्रार्थीगण

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

निवेदन किया है कि पुराने आ०ख०नं० 74 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन ख०नं० 14 रकबा 0.11, 15 रकबा 0.01, 30 रकबा 0.13 पुराने ख०नं० 82 जिन रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसके नवीन ख०नं० 56 रकबा 0.21 है। ग्राम विरहठा तहसील बयाना में स्थित है जिसके न्यायपूर्ण खातेदार काश्तकार वादनी प्रार्थिनी एवं उसके पति गोपी चन्द बीस वर्ष से लगातार चले आ रहे है जिसका राज लगान अदा किया है। पुराना ख०नं० 26 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये बन्दोबस्त के बाद 61 रकबा 0.10, 62 रकबा 0.26 वाके ग्राम विरहठा तहसील बयाना में स्थित है जिसके 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार वादनी एवं वादिनी का पति तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 अर्से दराज से चले आ रहे है। राज लगान अदा किया है। ख०नं० 61, 62 में 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 हैं। उक्त आराजी के चारों तरफ से डोल-मेडे होली है। रबि में गेहू चना, खरीफ में बाजरा की पैदा प्रार्थिनी व उसका पति हमेशा से शान्ति पूर्वक करते चले आ रहे हैं। ख०नं० 30 में प्रार्थिनी व तरतीबी प्रति० गोपी चन्द ने 15 साल पूर्व एक आराशीन लगवाई थी जो राज्य सरकार के निर्देश पर बन्द करा दी गई। आ०ख०नं० 74 के नवीन ख० 14, 15 को वादनी, प्रार्थिनी एवं तरतीबी प्रतिवादी गोपीचन्द की अदम जानकारी में रेवन्यु कर्मचारियों से मिलकर मुसम्मा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता ने [illegible] 6 को जरिये बेचान कर दिया जो [illegible] है। क्रेता का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होकर प्रार्थिनी व उसके पति गोपीचन्द का है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी पर प्रार्थिया व उसके पति का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है इस आधार पर प्रार्थीनी व तरमीमी-प्रतिवादी गोपी चन्द को विवादित भूमि पर एकवर्षी पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जमाबन्दी सम्वत 2045 तक विवादित भूमि का इन्द्राज प्रार्थीनी व उसके पति गोपीचन्द के नाम बदस्तूर दर्ज है लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों की सहवन गलती से असल प्रतिवादी / अप्रार्थी 05 के पिता के नाम दर्ज कर दिया ~~और~~ इस प्रकार प्रतिवादीगण के पिता सुला हाल दिनांक 27-9-1997 को उक्त आराजी प्रतिवादी 06 के नाम विक्रय कर दी। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने दिनांक 7-12-2005 को वादनी / प्रार्थीनी व उसके पति प्रतिवादी गोपीचन्द को बेदखल करने की नाजायज धमकी दी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गए तो वादनी / प्रार्थीनी व तरमीमी प्रतिवादी गोपीचन्द को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर विवादित 1/4 भाग भूमि के बाबत अप्रार्थीगण को हल वाद के निर्णय तक निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। आदेशिका दिनांक 24/3/06 को अप्रार्थी 7,8 के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी / अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 5/2/2008 को पेश हुआ। आदेशिका दिनांक 6/7/18 से अप्रार्थी सं० 03, आदेशिका दिनांक 11/9/2018 से अप्रार्थी संख्या 4,6 के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। आदेशिका 15/9/2020 [illegible] पत्र को शेष अप्रार्थीगण अनुसार अप्रार्थी 01 के जवाब [illegible] आंकित कर हस्ताक्षर का प्रार्थना पत्र पढ़ा गया [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक दी है। अप्रार्थी (रेस्पोन्डेन्ट) ने [illegible] 05/02/2008 में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार, वादनी प्रार्थीनी व उसका पति कभी भी नहीं

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

रहा है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी की है। अप्रार्थी व उसके पिता ने राज लगान अदा किया है। विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में प्रार्थीया के पति गोपीचन्द ने अप्रार्थी के पिता सुखा आदि के विरुद्ध रा०वा० ACM बयाना में दावा पेश किया था उक्त दावा खारिज हो चुका है। प्रार्थीया के पति ने न्यायालय के नाम के आदेश की अपील आर.ए.ए. अतिरिक्त कैम्प बयाना प्रस्तुत की जो दिनांक 29/10/2005 को खारिज की है। इस प्रकार पक्षकारान के अधिकारों का अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी विक्रय पत्र के आधार पर बतौर के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीया व उसके पति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थीया के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन व प्राइमाफेसी साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। पत्रावली में सैटलमेन्ट राजस्व अभिलेख जमाबन्दी 2061-2064, 2042-2045, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थीया (वादनी) उक्त विवादित आराजी की खातेदार, काश्तकार दर्ज अभिलेख नहीं है। किसी खातेदार को उसकी स्वयं की खातेदारी आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायिक व प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। प्राइमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। न्यायालय [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2005 [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested